फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

इंडसइन्ड बैंक शाखा वैशाली नगर जयपुर बनाम रिंकू

किस्म मुकदमाः—अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 12 सन् 2026

GCMS No. 2026/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
13.03.2026	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री निहाल सिंह प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ बडौदा शाखा धौलपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता 1. रिकू निवासी– तहसील बसेरी रतनपुर जिला धौलपुर राजस्थान 328022 2. सहऋणी लव कुश निवासी रतपुर तहसील बसेरी जिला धौलुपर राजस्थान 328022 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को ऋण खाता संख्या 920000031180 दिनांक 16.03.2024 को रूपये 40,34,877/– का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः– वाहन संख्या RJ11GC8609 जिसका इंजन नम्बर PDPZ143012 एवं चेसिस नम्बर MB1NGCHD2RPPY7699 है तथा वाहन का विवरण (ASHOK LEYLAND 4225 BS6 COEL CHASSIS)। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 19.08.2025 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 25.08.2025 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 36,16,321.92/– दिनांक 25.08.2025 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है। हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction	

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर